माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

निगरानी 749-III-15 केम्प इन्दौर म.प्र. 10/-

पुनरीक्षण प्र.क्र.

श्रवण दिनांक

30

1. मोहीउद्दीन पिता सैयद मुनीर, निवासी ग्राम मोहद, तहसील एवं जिला बुरहानपुर म.प्र. ===याचिकाकर्ता/आवेदक क्र.

विरूद्ध

1. शेख अकबर पिता अब्दुल समद,
2. शेख जावेद पिता अब्दुल समद,
दोनो निवासी ग्राम मोहद, तहसील एवं जिला बुरहानपुर म.प्र.
3. सैयद अकरम पिता सैयद फजल
निवासी लोहारमण्डी, बुरहानपुर म.प्र.
4. अफजल पिता मेहबुब, निवासी ग्राम मोहद, तहसील एवं जिला बुरहानपुर म.प्र.
5. हाफिजा बेगम पति ईसामुध्दीन मास्टर, निवासी ग्राम अंतुर्ली तालुका मुक्ताईनगर, जिला जलगांव महाराष्ट्र
6. आफताब बेगम पति दिलावर बक्ष, निवासी आजादनगर, शहर एवं जिला बुरहानपुर म.प्र.
7. जुलेखा बानो पति बहादुरउद्दीन पुत्री अब्दुल समद, निवासी मोहल्ला बहादरपुरा, ग्राम अंतुर्ली, तालुका मुक्ताईनगर, जिला जलगांव महाराष्ट्र
8. श्रीमती शकीला बानो पति आरीफ एडवोकेट, पुत्री अब्दुल सम निवासी मोहल्ला वाईलीबेत ग्राम जलगांव जामोद, जिला बुलढाणा महाराष्ट्र
9. श्रीमती फातिमाबी पति सैयद फैयाज, निवासी मोहल्ला दरगाह अली, अमलनेर, जिला जलगांव महाराष्ट्र
10. श्रीमती नजमा बानो पति इमरान, निवासी ग्राम बड़ोदा तालुका मुक्ताईनगर, जिला जलगांव महाराष्ट्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

जिला बुरहानपुर

प्रकरण कमांक निगरानी 749–तीन/2015

मोहीउद्दीन विरूद्ध शेख अकबर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–5–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार बुरहानपुर जिला बुरहानपुर के प्रकरण कमांक 13/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ नायब तहसीलदार के आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नामांतरण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया था जिसमें आवेदक द्वारा धारा 32 का आवेदन पेश किया। नायब तहसीलदार ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत धारा 32 का आवेदन, आवेदन में उल्लेखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज किया है। यदि कोई पक्षकार किसी न्यायालय में कोई आवेदन प्रस्तुत करता है और उसमें किसी दस्तावेज का उल्लेख करता है तो उसे उक्त दस्तावेज न्यायालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है जिससे उक्त आवेदन का निराकरण किया जा सके, परन्तु आवेदक द्वारा धारा 32 में उल्लेखित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन खारिज किया है जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण आवेदक के जबात हेतु नियत है जहां	